150

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग
7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 Email :- dsmaraj@gmail.com

क्रमांक प. 3(11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00027 जयपुर, दिनांक : 21.01.2020

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना
(मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना)

—:दिशा निर्देशः—

1. **प्रस्तावना :—**

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य में संचालित मदरसों का आधारभूत संरचना का विकास करना है। जिसके माध्यम से मदरसे में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा सके। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की जागृति लाकर अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं में अध्ययन के प्रति रुची जागृत कर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा सके। इस योजना के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने हेतु आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार भौतिक सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाएगी।

2. **परिभाषा :—**

A. इस योजना में वर्णित निम्न शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा :—

(i) बोर्ड का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" से है।
(ii) अध्यक्ष का आशय "अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड" से है।
(iii) राज्य सरकार का आशय "राजस्थान सरकार" से है।
(iv) मदरसे का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसे" से है।
(v) योजना का आशय "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना" वर्ष 2019–20 से है।
(vi) अनुदान का आशय 'बोर्ड द्वारा मदरसे को उपलब्ध करवाई गई मौद्रिक/भौतिक सामग्री सहायता' से है।

B. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न ऐजेन्सियों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :—

(i) योजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी – राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
(ii) योजना लाभान्वित ऐजेन्सी – राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसा।
(iii) योजनान्तर्गत कार्यकारी ऐजेन्सी – नगरीय निकाय/पी.डब्लयू.डी./समसा/पंचायती राज संस्थाए एवं निमार्ण कार्य हेतु अन्य राजकीय संस्थाए होगी।
(iv) योजना की मोनटरिंग ऐजेन्सी – सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड, सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मदरसे के सदर/सचिव होंगें।

3. **उद्देश्य :—**

इस योजना को संचालित करने के निम्न उद्देश्य है –

(i) मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास करना जैसे कक्षा–कक्ष, पेयजल सुविधा, शौचालय एवं किचन शेड का निर्माण।
(ii) मदरसों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को अध्ययन हेतु भौतिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना जैसे कम्प्यूटर, यू.पी.एस., प्रिन्टर, स्मार्ट क्लास रूम, ड्यूल डेस्क, स्टाफ फर्नीचर, अलमीरा, लाईब्रेरी बुक्स, टीचर्स लर्निंग मेटेरियल, ई–कन्टेन्ट एवं कम्प्यूटर एडेड लर्निंग उपकरण।

Scanned by CamScanner

4. **आवेदन की प्रक्रिया**

(i) योजना का लाभ लेने हेतु मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में वर्णित सभी दस्तावेजों के साथ (परिशिष्ठ–1) जो निम्नानुसार है:–

1. मदरसे के स्वामित्व का विवरण जिसमें उपपंजीयक/तहसीलदार से पजीकृत दस्तावेज।
2. मदरसे का ब्लू प्रिन्ट जो सदर/सचिव से हस्ताक्षर युक्त हो एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसे प्रमाणित करें। वर्तमान में निर्माण कार्य करवाये जाने वाले भाग को माप सहित अलग रंग में दर्शाना है।
3. कार्यकारी ऐजेन्सी की सहमति एवं तकमीना तथा तकनिकी रिपोर्ट संलग्न करें।
4. छात्र संख्या कक्षावार संलग्न करें।

(ii) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्रावली प्रस्तुत करेगें।

(iii) जिला अल्पसख्यंक कल्याण अधिकारी सभी आवेदन पत्रों को अपनी अभिशंषा के साथ प्राप्त होने के 15 दिवस में कार्यालय राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को प्रेषित करेगें।

5. **चयन प्रक्रिया**

(i) योजना के अन्तर्गत मदरसों के चयन के लिए अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग से उपनिदेशक स्तर के अधिकारी, अकादमिक अधिकारी एवं लेखाधिकारी राजस्थान मदरसा बोर्ड सदस्य होंगें।

(ii) चयन समिति द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करने के पश्चात पात्र मदरसों का चयन 30 दिवस में किया जायेगा।

(iii) चयन समिति द्वारा चयनित मदरसों की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रावली 15 दिवस में राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

(iv) सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

6. **चयन के मापदण्ड**

(i) निर्माण कार्य हेतु "ए" श्रेणी के मदरसों का चयन किया जायेगा एवं निर्माण की स्वीकृत कुल राशि का 90 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि मदरसा प्रबंधन समिति जन सहयोग से प्राप्त कर वहन करेगी।

(ii) भौतिक सामग्री हेतु योग्य मदरसों का चयन किया जायेगा।

(iii) योजना में प्रत्येक जिले में एक मदरसे का चयन सुनिश्चित किया जयेगा एवं उसके पश्चात् प्रत्येक जिले से मदरसों की अनुपातिक संख्या के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले मदरसों का चयन किया जायेगा।

(iv) चयन समिति द्वारा स्मार्ट क्लास रुम हेतु चयनित, भवन विहीन अधिकतम नामांकन वाले मदरसों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

7. **योजना का प्रचार प्रसार**

मदरसा बोर्ड द्वारा उक्त योजना की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसकी सूचना मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी जायेगी। प्रत्येक जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया में अपने स्तर पर करवाया जायेगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा भी योजना का अपेक्षित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

8. अनुदान की शर्तें

(i) योजना में प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु अधिकतम राशि 15.00/—लाख रूपये एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु अधिकतम राशि 25.00/— लाख रूपये का कार्य स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ii) योजना में प्रत्येक मदरसे में कक्षा—कक्ष, शौचालय एवं किचन शेड की माप का निर्धारण राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा विभाग के मापदण्ड/दिशा—निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। किसी मदरसे में उक्त मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में मदरसा प्रबन्धन समिति एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया जाकर संयुक्त मौका रिपोर्ट तैयार की जावेगी एवं तदअनुसार उक्त मापदण्डों में परिवर्तन प्रस्तावित कर सकेंगे।

(iii) योजना में निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(iv) भौतिक सामग्री हेतु देय अनुदान में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा आवश्यक सामग्री क्रय कर मदरसों को उपलब्ध करवाई जायेगी।

(v) निर्माण कार्य हेतु देय अनुदान में कार्यकारी एजेन्सी को राशि का हस्तान्तरण किया जायेगा।

(vi) चयनित मदरसे के द्वारा कुल स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत चयन होने के पश्चात दो माह के भीतर राजस्थान मदरसा बोर्ड के खाते में जमा करवानी होगी।

(vii) मदरसा प्रबन्धन समिति द्वारा उपरोक्त कार्यकारी एजेंसियों में से सुलभता के आधार पर संबंधित कार्यकारी ऐजेंसी से सहमति प्राप्त करके उसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। इस हेतु आवश्यकता होने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का सहयोग लिया जा सकेगा।

(viii) कार्यकारी ऐजेंसी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत राशि का हस्तान्तरण तीन किश्तों (50:40:10) में कार्यकारी एजेन्सी को किया जायेगा। कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त द्वितीय किश्त एवं स्वीकृत कार्य पूर्ण करने के पश्चात समस्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त तृतीय किश्त जारी की जायेगी।

(ix) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य की नियमित देख—रेख की जायेगी एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

(x) दिशा—निर्देशों से सम्बन्धित सभी स्पष्टीकरण देने हेतु सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड सक्षम होंगें।

(xi) संबंधित मदरसे को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्रमाणित हो की गत पांच वर्षों में किसी भी योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुदान राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

(मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना)

आवेदन पत्र

1	मदरसे का नाम व पता	
2	मदरसा बोर्ड में मदरसे का पंजीयन संख्या	
3	बोर्ड में पंजीयन का स्तर	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक
4	यदि मदरसा किसी अन्य योजना के तहत लाभ ले रहा है तो उसका नाम एवं विवरण	
5	यदि बोर्ड द्वारा पूर्व में मदरसे को आधुनिकीकरण योजना में निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण	
6	मदरसा सदर का नाम एवं मोबाईल नं.	
7	मदरसा सचिव का नाम एवं मोबाईल नं.	
8	मदरसे में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या	
	कक्षा 1 से 5 तक	
	कक्षा 6 से 8 तक	
9	मदरसा जिस भूमि पर निर्मित है, उसके स्वामित्व का विवरण	
10	मदरसा भूमि का कुल क्षेत्रफल वर्गगज में	
11	निर्मित भाग का क्षेत्रफल वर्गगज में	
12	खाली भूमि का क्षेत्रफल वर्गगज में	
13	मदरसे का ब्लयू प्रिन्ट तथा जो निर्माण कार्य वर्तमान में करवाया जाना है उसकी माप सहित अलग रंग से दर्शाना है	
14	कार्यकारी ऐजेंसी की सहमति / तकमीना एवं तकनीकी रिपोर्ट संलग्न करे	
15	आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण	

घोषणा

हम शपथपूर्वक बयान करते है कि उपरोक्त समस्त तथ्य सही है एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करते है।

सदर के हस्ताक्षर मय सील

सचिव के हस्ताक्षर मय सील

उक्त मदरसा "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना" के अन्तर्गत लाभान्वित होने हेतु योग्य है। आवेदन पत्र को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अभिशंषा करता हूँ।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का नाम
पदनाम मय सील

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक : प.3 (11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00387 जयपुर दिनांक 26.06. 2020

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

(मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना)

—: संशोधन :—

"मुख्यमंत्री मदरसा, आधुनिकीकरण योजना" के दिशा—निर्देश जो विभाग द्वारा क्रमांक प. 3(11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00027 दिनांक 21.01.2020 द्वारा जारी किये गये थे। उक्त दिशा—निर्देशों के **बिन्दु संख्या—5 "चयन प्रक्रिया"** के क्रमांक (i) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

क्र.सं	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान	विशेष विवरण
1.	5. (i) योजना के अन्तर्गत मदरसों के चयन के लिए अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग से उपनिदेशक स्तर के अधिकारी, अकादमिक अधिकारी एवं लेखाधिकारी राजस्थान मदरसा बोर्ड सदस्य होंगे।	5. (i) योजना के अन्तर्गत मदरसों के चयन के लिए अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड की अध्यक्षता में .चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग से उपनिदेशक स्तर के अधिकारी, अकादमिक अधिकारी ,लेखाधिकारी राजस्थान मदरसा बोर्ड एवं **अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर (तकनीकी सदस्य)** सदस्य होंगे।	अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को तकनीकी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

26/6/20
(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पालनार्थ भिजवाने हेतु।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
11. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
12. नोडल अधिकारी (वेबसाईट), अल्पसंख्यक मामलात विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

मो. उसामा

(मोहम्मद उसामा)
सहायक शासन सचिव

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

क्रमांकः प.3(11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00947 जयपुर, दिनांक : 30दिसम्बर, 2020

वित्तीय स्वीकृति आदेश

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत मदरसों में विनिर्माण कार्यों हेतु विभागीय समसंख्यक पत्रांक आर.के./00420 दिनांक 07.07.2020, आर.के./00597 दिनांक 07.09.2020 एवं आर.के./00803 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्यों की संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा तकनीकी स्वीकृति मय विस्तृत तकमीना सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्राप्त होने पर निम्न कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की 50 प्रतिशत राशि संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरण किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	जिला	मदरसे का नाम	पंजीयन संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कुल लागत राशि	जनसहयोग से प्राप्त 10 प्रतिशत राशि	राज्यांश की 40 प्रतिशत राशि	प्रथम किश्त 50 प्रतिशत हस्तांतरित की जाने वाली राशि	कार्यकारी एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जैसलमेर	मदरसा कादरिया फेजे सिकन्दरिया ढिब्बा पाडा जिला जैसलमेर	2054	20.61	2061000	206100	824400	1030500	ग्राम पंचायत
2	जैसलमेर	मदरसा फैजे शाह मर्दानशाह अहले सुन्नत श्रीमोहनगढ जिला जैसलमेर	2077	11.87	1187000	118700	474800	593500	ग्राम पंचायत
3	जैसलमेर	मदरसा अल्हे सुन्नत मोईनुल इस्लाम तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1972	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत
4	झालावाड	मदरसा फजल मेमोरियल स्कूल चौमहला तह. गंगधार जिला झालावाड	3043	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत
5	कोटा	मदरसा जामियतुल हुदा, मोढक स्टेशन, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा	343	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत
6	जयपुर	मदरसा इस्लामिया जबरशह, हसरत रोड, चार दरवाजा, जयपुर	626	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
7	सवाई माधोपुर	मदरसा तालिमुल अंसारियान जिला सवाईमाधोपुर	912	25.00	2500000	250000	1000000	1250000	समसा

उक्त व्यय बजट मद 2202–01–800–(05)–00–93–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान मद से वहन किया जायेगा।

जनसहयोग से प्राप्त 10 प्रतिशत राशि राजस्थान मदरसा बोर्ड के बैंक खाता संख्या 61277458596 से एवं राज्यांश की 40 प्रतिशत राशि बजट मद 2202–01–800–(05)–00–93 से व्यय की जायेगी।

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन होंगीः–

1. योजनान्तर्गत राशि का उपयोग दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
2. कार्यकारी एजेन्सी को प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि दी जायेगी। राशि का व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही शेष राशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
3. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को राशि तीन किस्तों (50:40:10) में हस्तान्तरण की जावेगी।

4. समस्त स्वीकृत/चयनित कार्यों का परिवेक्षण सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर द्वारा किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि में समस्त प्रकार के व्यय जैसे क्वालिटी कन्ट्रोल, कन्टीजेन्सी एवं प्रो–रेटा आदि सम्मिलित है तथा स्वीकृत राशि में किंसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। योजना के दिशा–निर्देशों की पालना राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित की जाये।

यह स्वीकृति वित्त(व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 161901218 दिनांक 07.01.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान मदरसा बोर्ड।
5. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय।
8. आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल परिसर जयपुर।
9. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
10. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
11. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
12. लेखा शाखा, भुगतान, कार्यालय राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
13. संबंधित मदरसा सदर/सचिव मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

30/12/20
(रमेश चन्द परेवा)
सहायक शासन सचिव

134/c

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

क्रमांकः प.3(11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00746 जयपुर, दिनांक : 14 अक्टूबर, 2020

वित्तीय स्वीकृति आदेश

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 43 मदरसों में विनिर्माण कार्यों हेतु विभागीय पत्रांक प.3(11)अल्प.वक्फ/2017/आर.के./00420 दिनांक 07.07.2020 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्यो की संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा तकनीकी स्वीकृति मय विस्तृत तकमीना सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्राप्त होने पर निम्न कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की 50 प्रतिशत राशि संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरण किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	जिला	मदरसे का नाम	पंजीयन संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कुल लागत राशि	जनसहयोग से प्राप्त 10 प्रतिशत राशि	राज्यांश की 40 प्रतिशत राशि	प्रथम किश्त 50 प्रतिशत हस्तांतरित की जाने वाली राशि	कार्यकारी एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बूंदी	मदरसा अन्जुमन इस्लामियां मास्टर कॉलोनी, अंजुमन इस्लाम नैनवा, जिला बूंदी	177	7.85	785000	78500	314000	392500	सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनवा, बूंदी
2	बाड़मेर	मदरसा फैजे कादिरया, महाराणी साऊद, खलीफा की बावड़ी, तह0 शिव, जिला बाड़मेर	3519	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत खलीफे की बावड़ी, पं.स. गडरा रोड
3	प्रतापगढ़	मदरसा तालिमुल कुरआन, ग्राम बजरंगगढ़ ग्राम पंचायत असावता मस्जिद के पास, जिला प्रतापगढ़	3159	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत असावता पं.स. प्रतापगढ़
4	दौसा	मदरसा तालिमुल इस्लाम भानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा	203	11.87	1187000	118700	474800	593500	समसा
5	दौसा	मदरसा हबीबीया मस्जिद जगनेर तुर्कान, सोनड, तहसील लालसोट, जिला दौसा	543	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
6	भरतपुर	मदरसा दारूल उलूम इस्ला. अरबिया हिफजुल कुरान, ग्राम पालकी, पोस्ट खेराती, तहसील नगर, जिला भरतपुर	1265	22.61	2259525	225952.5	903810	1129762.5	समसा
7	धौलपुर	मदरसा मुहम्मदिया एहले हदीस बाडी, पुराना बस स्टेण्ड, बाडी, धौलपुर	1203	22.61	2264000	226400	905600	1132000	नगर पालिका, मण्डल बाडी, धौलपुर

उक्त व्यय बजट मद 2202–01–800–(05)–00–93–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान मद से वहन किया जायेगा।

जनसहयोग से प्राप्त 10 प्रतिशत राशि राजस्थान मदरसा बोर्ड के बैंक खाता संख्या 61277458596 से एवं राज्यांश की 40 प्रतिशत राशि बजट मद 2202–01–800–(05)–00–93 से व्यय की जायेगी।

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन होंगीः–

1. योजनान्तर्गत राशि का उपयोग दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

135/C

2. कार्यकारी एजेन्सी को प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि दी जायेगी। राशि का व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही शेष राशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
3. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को राशि तीन किस्तों (50:40:10) में हस्तान्तरण की जावेगी।
4. समस्त स्वीकृत/चयनित कार्यो का परिवेक्षण सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर द्वारा किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि में समस्त प्रकार के व्यय जैसे क्वालिटी कन्ट्रोल, कन्टीजेन्सी एवं प्रो–रेटा आदि सम्मिलित है तथा स्वीकृत राशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। योजना के दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।
6. यह स्वीकृति वर्तमान में लागू आदर्श आचार संहिता के अध्ययधीन जारी की जाती है आदर्श आचार संहिता की पालना राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त(व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 161901218 दिनांक 07.01.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान मदरसा बोर्ड।
5. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय।
8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
9. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
10. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
11. लेखा शाखा, भुगतान, कार्यालय राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।।
12. संबंधित मदरसा सदर/सचिव मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(रमेश चन्द परेवा)
सहायक शासन सचिव

Scanned by CamScanner

99/c

राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

प.3(11)अल्प.वक्फ / 2017 / RK / 00519 जयपुर, दिनांक : 18 अगस्त, 2020

वित्तीय स्वीकृति आदेश

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 43 मदरसों में विनिर्माण कार्यों हेतु विभागीय पत्रांक प.3(11)अल्प.वक्फ / 2017 / आर.के. / 00420 दिनांक 07.07.2020 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्यों की संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा तकनीकी स्वीकृति मय विस्तृत तकमीना सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मदरसा बोर्ड से प्राप्त प्रस्तावानुसार निम्न कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की 50 प्रतिशत राशि संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरण किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	जिला	मदरसे का नाम	पंजीयन संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कुल लागत राशि	जनसहयोग से प्राप्त 10 प्रतिशत राशि	राज्यांश की 40 प्रतिशत राशि	प्रथम किश्त 50 प्रतिशत हस्तांतरित की जाने वाली राशि	कार्यकारी एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	मदरसा बालिका इरादा–ए–दावतुल हक ग्रम उटंडा वाया–गगवाना जिला–अजमेर।	3761	22.61	2261000	226100	904400	1130500	ग्राम पंचायत उँटड़ा, पं.स. अजमेर
2	अलवर	मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम, नगला डूगर, जिला अलवर, तहसील किशनगढ़ बास, जिला अलवर	342	15.00	1475000	147500	590000	737500	ग्राम पंचायत, पाटन मेवान, पं.सं किशनगढबास
3	बारां	मदरसा हुसैनिया, वार्ड नं. 3, मॉगरोल, बारां	71	8.00	800000	80000	320000	400000	नगर पालिका, मांगरोल
4	बाड़मेर	मदरसा जामिया इस्लामिया मुबारकुल उलूम उनरोड तहसील शिव जिला बाडमेर	3005	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पचायत, आचरणियों की ढाणी, पं. स. गडरा रोड
5	बाड़मेर	मदरसा दारूल उलूम फैजे गौसियां, ग्राम खारची, तहसील रामसर, जिला बाडमेर	1270	25.00	2500000	250000	1000000	1250000	पचायत समिति, रामसर
6	बाड़मेर	मदरसा गुलशन–ए–खदीजतुल कुबरा, (बालिका) तिलक नगर बाडमेर, आगोर तहसील बाडमेर, जिला बाडमेर	3439	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
7	भीलवाड़ा	मदरसा अन्जुमन गरीब नवाज, मुकाम पोस्ट खेजडी वाया शम्भुगढ, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा	2390	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत, खेजडी, पं.स. हुरडा
8	बीकानेर	मदरसा इस्लामिया रिजविया, ग्राम / पोस्ट श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर	3018	8.87	887000	88700	354800	443500	समसा —
9	बीकानेर	मदरसा दारूल उलूम गरीब नवाज, वार्ड नं. 33, लूणकरणसर, जिला बीकानेर	2495	18.74	1874000	187400	749600	937000	ग्राम पंचायत, लूणकरनसर, पं.स. लूणकरनसर
10	चित्तौडगढ	मदरसा इस्लामिया अहले सुन्नत वल जमात राशमी जिला चित्तौडगढ	3589	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत, राशमी, पं.स. राशमी
11	चूरू	मदरसा जाफरिया तालिमुल कुरआन ,तहत जामा मस्जिद वार्ड नं 17 राजगढ सादुलपुर जिला चूरू	1849	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
12	चूरू	मदरसा फैजूर्रसल ग्राम पोस्ट पीथीसर जिला चूरू	3881	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
13	चूरू	मदरसा डा0 जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान डी.टी.ओ. ऑफिस के पास जयपुर रोड, चूरू	3299	15.00	1500000	150000	600000	750000	नगर परिषद, चूरू

निरन्तर.........

Scanned by CamScanner

100/c

14	हनुमानगढ़	मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज, वार्ड नं. 2, नई खुंजा, हनुमानगढ, जक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ	1899	25.00	2500000	250000	1000000	1250000	नगर परिषद, हनुमानगढ़
15	जैसलमेर	मदरसा अहले सुन्नत फैजाने हिजबुल्लाह शाह	2168	15.00	1497372	149737	598949	748686	समसा
16	जैसलमेर	मदरसा सिगबतुल इरफान फैजे सैयद मर्दानशाह झाबरा ग्राम पं. चांदन जिला जैसलमेर	3778	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत, चांदन, पं.स. सम
17	जैसलमेर	मदरसा दारूल उलूम कादरिया फेजे राशदिया शिक्षण संस्था, मुकाम पोस्ट सम तहसील व जिला जैसलमेर	1989	22.61	2261000	226100	904400	1130500	ग्राम पंचायत, सम, पं.स. सम
18	जैसलमेर	मदरसा अहले सुन्नत फैजे हिलबुल्ला	3315	22.61	2261000	226100	904400	1130500	ग्राम पंचायत, सम, पं.स. सम
19	जैसलमेर	मदरसा अहले सुन्नत सिब्गतुल अनवार	3024	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत, कनोई, पं.स. सम
20	जैसलमेर	मदरसा महमूदिया तजवीदुल कुरआन	1661	22.61	2216823	221682	886729	1108411	समसा
21	जैसलमेर	मदरसा इस्लामिया नोमानिया सांकडा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1969	15.00	1497372	149737	598949	748686	समसा
22	जैसलमेर	मदरसा अहले सुन्नत फैजाने अली गोहर शाह, गांव मतूओं की बस्ती, तहसील सम, जिला जैसलमेर	2162	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत, सम, पं.स. सम
23	जालौर	मदरसा फैज मुजाहिदिया भाणु नागर, सांगणा तह. सायला जिला जालौर	3885	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत, सांगणा, पं.स. सायला
24	झुन्झुनु	मदरसा कमर उर्दू कॉलेज, ग्राम नुआ, तहसील व जिला झुन्झुनू	366	10.00	1000000	100000	400000	500000	समसा
25	जोधपुर	मदरसा फैजे सिद्दीकिया गुलशने मुस्तफा, ग्राम पोस्ट कलरां, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर	2701	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
26	जोधपुर	मदरसा अहले सुन्नत गुलशने गरीब नवाज ग्राम सांगा सनी पंचायत खेजड कला तहसील लूणी जिला जोधपुर	3880	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत, खेजडली कला, पं.स. लूणी
27	नागौर	मदरसा गरीब नवाज, संखवास तहसील नागौर जिला नागौर	3033	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
28	नागौर	मदरसा रज्जाकिया, मुकाम पोस्ट करक बाल, तहसील मेडता सिटी, नागौर	1613	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत, मोररा, पं.स. मेडता
29	पाली	मदरसा इस्लामिया फुरकानिया, "रास", ग्राम रास, पोस्ट रास, तहसील जैतारण, पाली	1592	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
30	सीकर	मदरसा नूरूल इस्लाम ग्राम पोस्ट माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर	1975	15.00	1500000	150000	600000	750000	ग्राम पंचायत, नया बास
31	श्री गंगानगर	मदरसा गुलशन ए मदीना शैक्षनिक सस्थान ग्राम पो. सरदारगढ वार्ड 1, तहसील सूरतगढ जिला गंगानगर	3876	15.00	1500000	150000	600000	750000	समसा
32	टोंक	मदरसा कासमियां दीनसाहब अलीगढ टोंक	274	8.87	887000	88700	354800	443500	ग्रा.पं. अलीगढ़ पं.स. उनियारा
33	उदयपुर	मदरसा दस्तगीर उच्च प्राथमिक विद्यालय भीण्डर उदयपुर	1751	24.61	2461000	246100	984400	1230500	समसा
	कुल योगः–			534.53	53378567	5337856	21351427	26689283	

निरन्तर.........

101/C

उक्त व्यय बजट मद 2202–01–800–(05)–00–93–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान मद से वहन किया जायेगा।

जनसहयोग से प्राप्त 10 प्रतिशत राशि राजस्थान मदरसा बोर्ड के बैंक खाता संख्या 61277458596 से एवं राज्यांश की 40 प्रतिशत राशि बजट मद 2202–01–800–(05)–00–93 से व्यय की जायेगी।

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन होंगी:–

1. योजनान्तर्गत राशि का उपयोग दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
2. कार्यकारी एजेन्सी को प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि दी जायेगी। राशि का व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही शेष राशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
3. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को राशि तीन किस्तों (50:40:10) में हस्तान्तरण की जावेगी।
4. समस्त स्वीकृत/चयनित कार्यों का परिवेक्षण सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर द्वारा किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि में समस्त प्रकार के व्यय जैसे क्वालिटी कन्ट्रोल, कन्टीजेन्सी एवं प्रो–रेटा आदि सम्मिलित है तथा स्वीकृत राशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
6. योजना के दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

यह स्वीकृति वित्त(व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 161901218 दिनांक 07.01.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय।
8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
9. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
10. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
11. लेखा शाखा, भुगतान, कार्यालय राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
12. संबंधित मदरसा सदर/सचिव मार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(रमेश चन्द परेवा)
सहायक शासन सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प.3(11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00951 **जयपुर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020**

सचिव,
राजस्थान मदरसा बोर्ड,
जयपुर।

विषयः– **मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2020–21हेतु 36 मदरसों में विनिर्माण कार्यो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति बाबत।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना गठित चयन समिति द्वारा पात्र पाये गये मदरसों के प्रस्ताव पर संविक्षा उपरान्त निम्नलिखित **36 (छत्तीस) मदरसों** के प्रस्तावों को ''मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना'' लाभान्वित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	जिला	मदरसा का नाम	पंजीयन संख्या	PS/ UPS	कार्यकारी एजेन्सी	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजमेर	मदरसा अहले सुन्नत नूरानी, मु. पो. फतहगढ़, तह. सरवाड़, अजमेर	6	PS	ग्राम पंचायत	20'x26', 8'x18' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय' यूनिट	15.00
2	अलवर	मदरसा इस्लामिया अरबिया तदरीसुल कुरआन, गांव कैमासा पोस्ट सैयमपुर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर	1978	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
3	बांसवाडा	मदरसा अन्जुमन इस्लामिया, सैकण्डरी स्कुल पाला रोड, बांसवाडा	1096	UPS	नगर परिषद	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
4	बारां	मदरसा अन्जुमन मदरसा इस्लामिया मिडिल स्कूल, मॉगरोल, जिला बारां	1170	UPS	नगर पालिका	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
5	बाड़मेर	मदरसा फैजे सिद्दीकिया, गांव सूजो का निवाणा, पोस्ट नवातला (बाखोसर) तहसील चौहटन, जिला बाडमेर	1667	UPS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
6	बाड़मेर	मदरसा हनफिया शिक्षण संस्थान, गोराणियों की ढाणी पोस्ट नगर तह. गुडामालीनी जिला बाड़मेर	3027	UPS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
7	बाड़मेर	मदरसा अहले सुन्नत फैजे पागारा रोजे धणी, सुमार फकीर की दरगाह, शरीफ जानवाणियों की ढाणी उटल, बरियाड़ा तह. शिव जिला बाडमेर	3053	UPS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
8	भरतपुर	मदरसा जामिया इस्लामिया अरबिया दारूल अलुम मेवात ग्राम अकाता तहसील कामा जिला भरतपुर	2190	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
9	भीलवाडा	मदरसा अन्जुमन इस्लामी मदरसा, रायला, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा	315	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
10	बूंदी	मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज, चॉद पीर बाबा, गढ चौक वार्ड नं. 9, नैनवॉ, जिला बूंदी	392	PS	पी. डब्ल्यू. डी.	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
11	चित्तौडगढ	मदरसा गौसिया पब्लिक प्राईमरी शिक्षण संस्थान कन्नौज (अंजुमन जमात खाना) पोस्ट कन्नोज तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ	1980	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00

क्र.सं.	जिला	मदरसा का नाम	पंजीयन संख्या	PS/ UPS	कार्यकारी एजेन्सी	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	चूरू	मदरसा नूरूल इस्लाम, मेहरी राज वियान, तह0 सरदार शहर, जिला चूरू	3449	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
13	धौलपुर	मदरसा मोहम्मदिया मदरसा, ग्राम नादनपुर, तह. बसेडी, जिला धौलपुर	1280	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
14	डूंगरपुर	मदरसा दारूल उलूम गुलशने मुस्तफा, मौहल्ला शेखवाड़ा, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर	2479	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
15	हनुमानगढ	मदरसा दारूल उलूम फेजाने शाह अब्दुल हक, ग्राम रोडावाली तह व जिला हनुमानगढ़	3077	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
16	जयपुर	मदरसा जीनतुल उलूम, रावल जी का बन्धा, 'खातीपुरा रोड, हसनपुरा, जयपुर	910	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
17	जैसलमेर	मदरसा फैजे गोसिया, ग्राम भारेवाला, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर	763	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
18	जैसलमेर	मदरसा गफ्फारी सत्तार फांटा, 21 एन.यू.डी. ग्राम पंचायत नाचना तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	2184	UPS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
19	जैसलमेर	मदरसा सुन्नत गौसिया, मुकाम पोस्ट रामगढ़, जिला जैसलमेर	2537	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
20	जैसलमेर	मदरसा अस्मा बिनते अबूबकर, हसनपुरा थाट, पोस्ट, केलावा, तह0 पोकरण, जिला जैसलमेर	3245	UPS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
21	जैसलमेर	मदरसा फेजाने मुस्तफा, ग्राम जेसूराणा, पोस्ट, हमीरा, तह0 जैसलमेर, जिला जैसलमेर	3351	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
22	जैसलमेर	कादरिया फैजे रोजे, धणी राशदी, भागु का गांव, ग्राम पंचायत, बासनपीर जूनी, तह0 जैसलमेर, जिला जैसलमेर	3352	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
23	जालौर	मदरसा गुलशन ए मस्तफा चौरा सांचौर जालोर	3923	PS	समसा	15'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	14.75
24	झुन्झुनू	मदरसा इस्लामिया मदरसा कनजुल उलूम शिक्षण संस्थान, मौहल्ला कुरेशियान वार्ड नं. 15, उदयपुर वाटी तह. उदयपुर वाटी जिला झुन्झुनू	2641	UPS	नगर पालिका	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
25	जोधपुर	मदरसा फैजे हनिफिया कादरया, सिंधियो की बस्ती मुकाम हनीफ सागर पोस्ट साई तहसील शेरगढ जिला जोधपुर	2214	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
26	कोटा	मदरसा मुहम्मदिया अरबिया, अहीर पाडा वार्ड नं. 2 कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा	2994	UPS	समसा	24'x11'.6'', 24'.3''x14'.3'' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	14.63
27	नागौर	मदरसा अहले सुन्नत उस्मान बिन अफान, तैलियों का मौहल्ला, गोटन तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर	1119	PS	नगर पालिका	16'.6''x10', 9'x10', 15'.3''x9' के तीन कक्षा–कक्ष मय 4' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
28	नागौर	मदरसा फेजाने अशफाक, जाजोलाई, तह0 नागौर, जिला नागौर	3117	UPS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
29	पाली	मदरसा अंजुमन पब्लिक स्कूल, सोजत सिढी तहसील सोजत सिटी जिला पाली	2893	UPS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
30	पाली	मदरसा स्कूल मुस्लिम कोम, नागौरी तैलियान समिति, मेन मण्डीया रोड़, पाली	3041	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00

क्र.सं.	जिला	मदरसा का नाम	पंजीयन संख्या	PS/ UPS	कार्यकारी एजेन्सी	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
31	प्रतापगढ़	मदरसा गरीब नवाज अजमेरी, ग्राम गादोला, जिला प्रतापगढ़	3147	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
32	सवाई माधोपुर	मदरसा नूरूल इस्लाम, जण्डी पट्टी शेषा, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर	571	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
33	सीकर	मदरसा इस्लामिया रिजविया, ग्राम बलोद भाकरा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर	683	UPS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
34	सीकर	मदरसा इस्लामिया प्राईमरी स्कूल, मोहल्ला कारीगरान, वार्ड नं. 1280, सीकर	999	UPS	ग्राम पंचायत	16'x18'.6''' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	14.10
35	सीकर	मदरसा मुफीद–ए–आम, नई मस्जिद के पास ग्राम भीचहरी तह. फतेहपुर, जिला सीकर	2467	PS	समसा	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
36	टोंक	मदरसा इस्लामिया, मु पोस्ट, हमीरपुर, तह0 टोडारायसिंह, जिला टोंक	3214	PS	ग्राम पंचायत	16'x20' के दो कक्षा–कक्ष मय 7' का बरामदा एवं शौचालय यूनिट	15.00
		कुल योग:–					**538.48**

उक्त प्रशासनिक स्वीकृति मे से निम्न मदरसों की प्रशासनिक स्वीकृति योजना के दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 8(ii) के अनुसार मदरसा प्रबंधन समिति एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा निम्न मदरसों की संयुक्त मौका निरीक्षण किया जाकर तैयार की गई संयुक्त मौका रिपोर्ट योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार उचित पाए जाने के अध्यधीन होगी :–

1. क्रम संख्या 1 पर दर्ज मदरसे का प्रस्तावित कार्य प्रथम तल एवं शिक्षा विभाग के मापदण्डानुसार प्रस्तावित नहीं होने के कारण।
2. क्रम संख्या 3 पर दर्ज मदरसे का प्रस्तावित कार्य प्रथम तल पर प्रस्तावित होने के कारण।
3. क्रम संख्या 23 पर दर्ज मदरसे का प्रस्तावित कार्य प्रथम तल एवं शिक्षा विभाग के मापदण्डानुसार प्रस्तावित नहीं होने के कारण।
4. क्रम संख्या 26 पर दर्ज मदरसे का प्रस्तावित कार्य प्रथम तल एवं शिक्षा विभाग के मापदण्डानुसार प्रस्तावित नहीं होने के कारण।
5. क्रम संख्या 27 पर दर्ज मदरसे का प्रस्तावित कार्य प्रथम तल एवं शिक्षा विभाग के मापदण्डानुसार प्रस्तावित नहीं होने के कारण।
6. क्रम संख्या 34 पर दर्ज मदरसे का प्रस्तावित कार्य प्रथम तल एवं शिक्षा विभाग के मापदण्डानुसार प्रस्तावित नहीं होने के कारण।

नोट :– उक्त प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:–

1. स्वीकृत कार्य के मदरसे का मदरसा का प्रबन्धन समिति द्वारा योजना के दिशा–निर्देशानुसार कुल स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत राशि राजस्थान मदरसा बोर्ड के बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी। तत्पश्चात राशि का हस्तान्तरण कार्यकारी एजेन्सी को किया जावेगा।
2. कार्यकारी एजेन्सी को राशि तीन किश्तों (50:40:10) में हस्तान्तरित की जावेगी।
3. उक्त स्वीकृति में निर्माण कार्य, एजेन्सी के प्रोरेटा चार्ज, कन्टीजेन्सी एवं गुण नियन्त्रण की राशि सम्मिलित है।
4. प्रकरणों के संबंध में योजना के दिशा–निर्देशों में बिन्दु संख्या 8(ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
5. जिन मदरसों में पानी का स्थाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं है उन मदरसों में तकमीना तैयार करते समय पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने एवं पेयजल संग्रहण व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत् तकमीना प्रस्ताव में सम्मिलित किया जावे।
6. समस्त स्वीकृत/चयनित कार्यो का पर्येवेक्षण सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा किया जावेगा।
7. योजना के दिशा–निर्देशों की पालना का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर का होगा।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ़ विभाग।
4. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक्र मामलात विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
9. नोडल अधिकारी (वेबसाईट), राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

31/12/20

(रमेश चन्द परेवा)
सहायक शासन सचिव